भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 132 25/9/2005 25AD 284899

नकल आदेश दिनांक 25/09/2005 द्वारा पारित उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ बाबत वाद संख्या 291/04-05 धारा 143 ZALR Act सरदार पटेल शिक्षण समिति बनाम उ०प्र० सरकार, ग्राम- उतरठिया, परगना बिजनौर त० व जिला लखनऊ

x————x————

सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।

उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ

(राम कुमार मौर्य)
अभिलेखपाल
कार्यालय उपजिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट
सदर, लखनऊ

14/6/10
सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ

132
25/7/05

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0 कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद सं0 – 291/05 06
सरदार पटेल शिक्षण समिति बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा–143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम–उतरठिया, परगना–बिजनौर
तहसील– सदर, जिला–लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही सरदार पटेल शिक्षण समिति (रजिस्टर्ड) पता 86/93, कुर्मी टोला, मकबूल गंज, लखनऊ द्वारा सचिव डा0 स्नेहलता सिंह, पत्नी अनुराग सिंह निवासी 14, सरदार पटेल मार्ग, कैन्टोनमेन्ट, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी खसरा संख्या 568 रकबा 0.4930 हे0 खसरा संख्या 565 रकबा 0.117 हे0 खसरा संख्या 566 रकबा 0.114 हे0 खसरा संख्या 567 रकबा 0.101 हे0, खसरा संख्या 557 रकबा 0.240 हे0 व खसरा संख्या 558 रकबा 0.6830 हे0 स्थित ग्राम उतरठिया का संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी के भूमि के आस–पास की भूमि पर आवासीय विकास भी सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि संख्याओं को सरकार द्वारा अधिग्रहीत भी नहीं किया गया है। प्रार्थी ने चारों ओर से बाउन्ड्रीवाल करवा रखा है। प्रार्थी संस्था सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन एवं शिक्षार्थियों के आवास हेतु हास्टल आदि का निर्माण आदि का कार्य कराने हेतु उपरोक्त भूमि पर विकास कार्य कर रही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आकृषिक घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 22.08.2005 में यह कहा है कि ग्राम उतरठिया की गाटा संख्या 568, 565, 566, 567, 557 व 558 कुल रकबा 1.748 हे0 प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनी है, एक भवन निर्माणाधीन है, कृषि कार्य नहीं होता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है। लखनऊ महानगर योजना 2021 में भूमि का भू–उपयोग आवासीय दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा करा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.09.2005 से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अवंटन की नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमि किसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या सम्प्रेषित है।

सत्य प्रतिलिपि

(राम कुमार मौर्य)
अभिलेखपाल
कार्यालय उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
सदर, लखनऊ

25/7/05

वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी की गयी, जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि पर हुये निर्माण का छाया चित्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 22.08.2005 की पुष्टि की जाती है। ग्राम औरंगाबाद खालसा, परगना तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 568 रकबा 0.4930 हे0, गाटा संख्या 565 रकबा 0.117 हे0, गाटा संख्या 566 रकबा 0.114 हे0, गाटा संख्या 567 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 557 रकबा 0.240 हे0 व गाटा संख्या 558 रकबा 0.6830 हे0, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक , लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/9/05

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 25/09/2005 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया।

25/9/05

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ

सत्य प्रतिलिपि
14/3/18
कार्यालय उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ

(राम कुमार मौर्य)
अभिलेखपाल
कार्यालय उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
सदर, लखनऊ